मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१९

दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१९

विषय-सूची

खण्ड :

अध्याय—एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

अध्याय—दो

दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७४ का संख्यांक २ का संशोधन.

३. धारा १२६ का संशोधन.

४. धारा २७३ का संशोधन.

५. धारा २७८ का संशोधन.

६. धारा २८१ का संशोधन.

७. धारा २९१ का संशोधन.

८. धारा ३०५ का संशोधन.

९. धारा ३१७ का संशोधन.

१०. धारा ३२० का संशोधन.

११. धारा ३५३ का संशोधन.

१२. धारा ३९० का संशोधन.

१३. धारा ४५१ का संशोधन.

१४. धारा ४५७ का संशोधन.

१५. प्रथम अनुसूची का संशोधन.

अध्याय—तीन

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ का संशोधन

१६. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७२ का १ का संशोधन.

१७. धारा ६५-ख का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१९

दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन का तारीख से प्रवृत्त होगा.

अध्याय—दो

दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७४ का संख्यांक २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा १२६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १२६ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ग) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अल्प विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"(घ) जहां धारा १२५ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति या उसकी धर्मज या अधर्मज संतान सामान्यत: निवास करता है/ निवास करती है,

(ङ) जहां धारा १२५ की उपधारा (१) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति या उसके पिता या माता सामान्यत: निवास करता है/निवास करते हैं,

(च) जहां धारा १२५ की उपधारा (१) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति या उसके पितामह या मातामह सामान्यत: निवास करता है/ निवास करते हैं.".

धारा २७३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा २७३ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य का लिया जाना";

(दो) प्रारंभिक पैराग्राफ को उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित उपधारा (१) के प्रारंभिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(१) अभिव्यक्त रूप में जैसा उपबंधित है के सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य, साक्षी की वैयक्तिक उपस्थिति में या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से और अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति में, या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से या; जब उसे वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त कर दिया गया है तब उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा.";

(तीन) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट साक्ष्य, उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विरचित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार अभिलिखित किए जाएंगे.".

धारा २७८ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २७८ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) जैसे-जैसे प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य जो धारा २७५ या धारा २७६ के अधीन लिया जाए, पूरा होता जाता है, वैसे-वैसे वह, यदि अभियुक्त हाजिर हो तो उसकी उपस्थिति में, या यदि वह अधिवक्ता द्वारा हाजिर हो तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में, या जब अभियुक्त की उपस्थिति धारा २७३ के अधीन श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से हो, तो साक्षी को पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो शुद्ध किया जाएगा.".

धारा २८१ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा २८१ में,—

(एक) उपधारा (२) में, शब्द "जब कभी अभियुक्त की परीक्षा महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है" के स्थान पर, शब्द "जब कभी अभियुक्त की परीक्षा उसकी वैयक्तिक उपस्थिति में या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उसकी उपस्थिति में महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (५) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यदि अभियुक्त की परीक्षा श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से की जाती है तो अभियुक्त के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी.".

धारा २९१ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २९१ में, उपधारा (१) में, शब्द "अभियुक्त की उपस्थिति में," के स्थान पर, शब्द "अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति में या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उसकी उपस्थिति में" स्थापित किए जाएं.

धारा ३०५ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३०५ में,—

(एक) उपधारा (३) में, शब्द "प्रतिनिधि की हाजिरी में" के स्थान पर, शब्द "प्रतिनिधि की वैयक्तिक उपस्थिति में या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उसकी उपस्थिति में" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(४) जहां निगम का कोई प्रतिनिधि या तो वैयक्तिक रूप से या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है, वहां कोई ऐसी अपेक्षा, जो उपधारा (३) में निर्दिष्ट है, लागू नहीं होगी, किन्तु यदि वह श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उपस्थित होता है, वहां कोई ऐसी अपेक्षा, जो उपधारा (३) में निर्दिष्ट है, लागू होगी.".

धारा ३१७ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ३१७ में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये "अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी" में श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उसकी हाजिरी सम्मिलित होगी.".

धारा ३२० का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ३२० में, उपधारा (२) के नीचे सारणी में,—

(एक) कालम १, २ और ३ में, धारा ३१२ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पहले निम्नलिखित धाराएं तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

१	२	३
"बलवा	१४७	वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अपराध कारित करते समय बल या हिंसा का प्रयोग किया गया है; परन्तु अभियुक्त ऐसे अन्य अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया है, जो शमनीय नहीं है.
अश्लील कार्य या अश्लील शब्दों का प्रयोग	२९४	वह व्यक्ति, जिसे क्षोभ कारित करने हेतु अश्लील कार्य किए गए थे या अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था.";

(दो) कालम १, २ और ३ में, धारा ४९४ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित धारा तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

१	२	३
"किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना.	४९८-क	जिस स्त्री के साथ क्रूरता हुई :— परन्तु अपराध के शमन के लिए आवेदन के दिनांक से न्यूनतम छह माह की कालावधि व्यपगत हो गई हो और न्यायालय का, यदि यह समाधान हो जाता है कि शमन उस महिला के हित में है, तो वह आवेदन स्वीकार कर सकेगा जबकि कोई भी पक्षकार अनावर्ती कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन को वापस नहीं ले लेता.";

(तीन) कालम १, २ और ३ में, धारा ५०० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित धारा तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

१	२	३
"आपराधिक अभित्रास, यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो.	धारा ५०६ का भाग-दो	वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया गया था.".

धारा ३५३ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ३५३ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(५) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो यथास्थिति, व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से निर्णय सुनने के लिये उसे लाया जाएगा.".

धारा ३९० का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ३९० में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "दोष मुक्ति से" का लोप किया जाए;

(दो) शब्द तथा अंक "जब धारा ३७८ के अधीन अपील उपस्थित की जाती है तब उच्च न्यायालय" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "जब धारा ३७२ के परन्तुक या धारा ३७८ के अधीन अपील उपस्थित की जाती है तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय" स्थापित किए जाएं.

धारा ४५१ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ४५१ उसकी उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित की जाए और इस प्रकार क्रमांकित की गई उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"(२) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय किसी ऐसी दुर्घटना जिसका परिणाम मृत्यु या शारीरिक रूप से उपहति या संपत्ति की क्षति हो, में अंतर्वलित मोटर यान को तब तक मुक्त नहीं करेगा जब तक कि ऐसा यान पंजीकृत स्वामी के नाम पर ली गई तृतीय पक्ष जोखिम के विरूद्ध बीमा पालिसी से आवृत्त नहीं हो या जब कि अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने के बावजूद पंजीकृत स्वामी ऐसी बीमा पालिसी को प्रस्तुत करने में असफल रहता है जब तक कि पंजीकृत स्वामी न्यायालय के संतोषप्रद रूप से प्रतिकर या भुगतान करने के लिए ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत न कर दे जो कि ऐसी दुर्घटना से उद्भूत दावा प्रकरण में अवार्ड की जा सके.

(३) जहां मोटर यान, तृतीय पक्ष जोखिम के विरूद्ध बीमा पालिसी से आवृत्त नहीं है, या जब मोटर यान का पंजीकृत स्वामी उपधारा (२) में उल्लिखित परिस्थितियों में ऐसी पालिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो मोटर यान, अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा यान कब्जे में लिए जाने की तारीख से तीन माह के समाप्त होने पर विहित रीति में, लोक नीलाम में विक्रय कर दिया जाएगा और उसके आगम, ऐसी दुर्घटना से उद्भूत होने वाले दावा प्रकरण में उस प्रतिकर के भुगतान के लिये जो दिया जा सकता है या दिया जा सकेगा, प्रश्नगत क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले दावा अभिकरण में पंद्रह दिन के भीतर जमा किए जाएंगे.".

धारा ४५७ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ४५७ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"(३) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय किसी ऐसी दुर्घटना जिसका परिणाम मृत्यु या शारीरिक रूप से उपहति या संपत्ति की क्षति हो, में अंतर्वलित मोटर यान को तब तक मुक्त नहीं करेगा जब तक कि ऐसा यान पंजीकृत स्वामी के नाम पर ली गई तृतीय पक्ष जोखिम के विरूद्ध बीमा पालिसी से आवृत्त नहीं हो या जब कि अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने के बावजूद पंजीकृत स्वामी ऐसी बीमा पालिसी को प्रस्तुत करने में असफल रहता है जब तक कि पंजीकृत स्वामी न्यायालय के संतोषप्रद रूप में प्रतिकर का भुगतान करने के लिए ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत न कर दे जो कि ऐसी दुर्घटना से उद्भूत दावा प्रकरण में अवार्ड की जा सके.

(४) उपधारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां मोटर यान, तृतीय पक्ष जोखिम के विरूद्ध बीमा पालिसी से आवृत्त नहीं है, या जब मोटर यान का पंजीकृत स्वामी उपधारा(३) में उल्लिखित परिस्थितियों में ऐसी पालिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो मोटर यान, अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा यान कब्जे में लिए जाने की तारीख से तीन माह के समाप्त होने पर विहित रीति में, लोक नीलामी में विक्रय कर दिया जाएगा और उसके आगम, ऐसी दुर्घटना से उद्भूत होने वाले दावा प्रकरण में उस प्रतिकर के भुगतान के लिये जो दिया जा सकता है या दिया जा सकेगा, प्रश्नगत क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले दावा अधिकरण में पंन्द्रह दिन के भीतर जमा किए जाएंगे.".

१५. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, शीर्षक "१. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध," के अधीन, कॉलम ६ में, धारा ३१७, ३१८, ३९२, ३९३, ३९४ तथा ४३५ के समक्ष, शब्द "सत्र न्यायालय" के स्थान पर, शब्द "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" स्थापित किए जाएं". प्रथम अनुसूची का संशोधन.

स्पष्टीकरण.—इस संशोधन के प्रयोजन हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह संशोधन सेशन न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के विचारण को प्रभावित नहीं करेगा.

अध्याय—तीन

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ का संशोधन.

१६. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का १) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम को नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाएगा. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७२ का १ का संशोधन

१७. मूल अधिनियम की धारा ६५-ख में, उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :— धारा ६५-ख का संशोधन.

"परंतु यदि न्यायालय श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधन, कम्प्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित करता है, तो इस उपधारा के उपबंध लागू नहीं होंगे.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) की धारा १२६ की उपधारा (१), दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १२५ के अधीन कार्यवाही संस्थित करने के स्थान का उपबंध करती है, किन्तु इसमें यह उपबंधित नहीं है कि धारा १२५ की उपधारा(१) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) के अधीन आने वाले व्यक्ति को किस स्थान पर कार्यवाहियां संस्थित करना होंगी. अतएव, संहिता की धारा १२६ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के कतिपय उपबंधों में अभियुक्त (विचाराधीन) अथवा उसके अधिवक्ता की भौतिक उपस्थिति साक्ष्य अभिलिखित करने अथवा अन्य कार्यवाहियों के लिये आज्ञापक है. यह देखा गया है कि पुलिस बल की कमी के कारण, कई बार अभियुक्त (विचाराधीन) नियत सुनवाई पर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए जाते हैं. परिणामस्वरुप प्रकरण स्थगित हो जाता है. सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नति के कारण यह वांछनीय है कि साक्षियों के अभिसाक्ष्य तथा अभियुक्त का परीक्षण तथा अन्य कार्यवाहियां वैकल्पिक रूप से न्यायालय में उनकी भौतिक उपस्थिति आज्ञापक उपबंध के बजाए, श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से की जाए. यह सुविधा पुलिस बल की कमी की समस्या का सामना करने में तथा प्रकरणों के त्वरित विचारण के लिये भी प्रभावी होगा. अतएव, उक्त संहिता की धारा २७३, २७८, २८१, २९१, ३०५, ३१७ तथा ३५३ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

३. श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित करना विफल हो जाएगा यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का १) की धारा ६५-ख को संशोधित नहीं किया जाता. परिणामत: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का १) की धारा ६५-ख में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि यदि विचारण न्यायालय श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधन, कम्प्यूटर अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित करता है तो ऐसे इलेक्ट्रानिक अभिलेख की पहचान के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (४) के उपबंध लागू नहीं होंगे.

४. मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियम क्रमांक १७ सन् १९९९ के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) की धारा १४७, २९४ तथा ५०६ भाग दो के अधीन के अपराध शमनीय बनाए गये थे. किन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, २००८ (२००९ का ५) द्वारा केन्द्र सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३२० की उपधारा (२) की सारणी को प्रतिस्थापित किया है जिसमें भारतीय दण्ड संहिता, १८६० की उक्त धाराओं को शमनीय नहीं बनाया गया है, परिणामस्वरुप संविधान के अनुच्छेद २५४ के खण्ड (२) के उपबंध के अधीन मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १७ सन् १९९९ द्वारा किए गए संशोधन का कोई प्रभाव नहीं है. इसका परिणाम यह है कि प्रशमन के पश्चात् उक्त अपराधों के न्यायनिर्णयन के लिये मुख्य अपराधों के प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बे समय से न्यायालय में लंबित हैं. अतएव, उपरोक्त प्रकरणों को शमनीय बनाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३२० को पुनः संशोधित किया जाना वांछनीय है.

५. धारा ४९८क के अधीन अपराध को इस कारण से शमनीय बनाया जाना भी प्रस्तावित है क्योंकि ऐसे अपराधों में परिवाद वैवाहिक विवादों का परिणाम होता है और क्षणिक आवेश में प्रथम रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है. कई अवसरों पर ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात्, पत्नी ऐसे अपराध में समझौता करना चाहती है, किन्तु उपबंध के अभाव में, उन्हें उच्च न्यायालय तक जाना होता है, जो वैवाहिक विवाद का निराकरण करने में बाधा उत्पन्न करता है. अतः कुछ निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३२० की उपधारा (२) में संशोधन प्रस्तावित है.

६. वर्ष २००५ के पूर्व दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील केवल उच्च न्यायालय में होती थी. अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३९० के अधीन, अभियुक्त को पेश करने के लिये वारंट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को दी है. वर्ष २००५ में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में संशोधन किया गया और तद्नुसार कुछ प्रकरणों में दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील सत्र न्यायालय में भी होने लगी. वर्ष २००९ में दोबारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ को संशोधित किया गया और पीड़ित को भी कतिपय आकस्मिकता के अधीन दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३७२ के परन्तुक के अधीन अपील करने का अधिकार प्राप्त हुआ. किन्तु धारा ३९० को तद्नुसार संशोधित नहीं किया गया है. अब भी सत्र न्यायालय को अभियुक्त की उपस्थिति निश्चित करने के लिये वारंट जारी करने हेतु सशक्त नहीं किया गया है. अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३९० में समुचित संशोधन प्रस्तावित है.

७. सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील क्रमांक ९९३६-९९३७ सन् २०१६ ऊषा देवी और अन्य विरूद्ध पवन कुमार एवं अन्य में, आदेश दिनांक १३ सितम्बर, २०१८ में सरकार को दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त मोटर यान, और जिसका तृतीय पक्षकार का बीमा नहीं है, की अभिरक्षा तथा जब्ती के संबंध में समुचित निर्देश दिये हैं. अतएव, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ४५१ एवं ४५७ में यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है.

८. दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की प्रथम अनुसूची में, मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियम क्रमांक २ सन् २००८ द्वारा, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० की धारा ३१७, ३१८, ३९२, ३९३, ३९४ तथा ४३५ के अधीन अपराधों को सेशन न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य बनाया गया है. अब सेशन न्यायालय पर मामलों का अत्यधिक भार है और अब न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग को व्यापक संख्या से समुत्थापित किया गया है तथा मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में सेशन न्यायालयों से कम संख्या में मामले हैं. अतएव, उपरोक्त अपराधों को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य बनाने के लिये प्रथम अनुसूची में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

९. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

पी. सी. शर्मा
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख ४ जुलाई, २०१९.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१९ के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

१. खण्ड-१३- दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ४५१ में अंत:स्थापित की जा रही उपधारा (३) में मोटरयान के विहित रीति में लोक नीलाम कर विक्रय करने के संबंध में, तथा

२. खण्ड-१४ दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ४५७ में अंत:स्थापित की जा रही उपधारा (४) में मोटरयान के विहित रीति में लोक नीलाम कर विक्रय करने के संबंध में,

नियम बनाये जाएंगे, जो सामान्य स्वरुप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (क्रमांक २ का १९७४) से उद्धरण.

* * * * *

धारा १२६. (१) किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा १२५ के अधीन कार्यवाही किसी ऐसे जिले में की जा सकती है—

(क) जहां वह है, अथवा

(ख) जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, अथवा

(ग) जहां उसने अन्तिम बार, यथास्थिति, अपनी पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है.

* * * * *

धारा २७३. अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में या जब उसे वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त कर दिया गया है, तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा :

* * * * *

धारा २७८. (१).—जैसे-जैसे प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य जो धारा २७५ या धारा २७६ के अधीन के अधीन लिया जाए, पूरा होता जाता है, वैसे-वैसे वह, यदि अभियुक्त हाजिर हो तो उसकी, या यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर हो तो उसके प्लीडर की उपस्थिति में साक्षी को पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो शुद्ध किया जाएगा.

* * * * *

धारा २८१. (१)—जब कभी अभियुक्त की परीक्षा किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है तो वह मजिस्ट्रेट अभियुक्त की परीक्षा के सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में तैयार करेगा और ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा.

(२) जब कभी अभियुक्त की परीक्षा मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है तब उससे पूछे गए प्रश्न और उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तर सहित ऐसी सब परीक्षा स्वयं पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या जहां वह किसी शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, वहां उसके द्वारा इस निमित्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निदेशन और अधीक्षण में पूरे तौर पर अभिलिखित की जाएगी.

(३) अभिलेख, यदि साध्य हो तो, उस भाषा में होगा जिसमें अभियुक्त की परीक्षा की जाती है या यदि यह साध्य न हो तो न्यायालय की भाषा में होगा.

(४) अभिलेख अभियुक्त को दिखा दिया जाएगा या उसे पढ़कर सुना दिया जाएगा या यदि वह भाषा को नहीं समझता है जिसमें वह लिखा गया है तो उसका भाषान्तर उसे उस भाषा में, जिसे वह समझता है, सुनाया जाएगा और वह अपने उत्तरों का स्पष्टीकरण करने या उनमें कोई बात जोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा.

(५) तब उस पर अभियुक्त और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेंगे और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि परीक्षा उसकी उपस्थिति में की गई थी और उसने सुना था और अभिलेख में अभियुक्त द्वारा किए गए कथन का पूर्ण और सही वर्णन है.

(६) इस धारा की कोई बात संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में अभियुक्त की परीक्षा को लागू होने वाली न समझी जाएगी.

* * * * *

२९१. (१)—अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और अनुप्रमाणित किया गया या इस अध्याय के अधीन कमीशन पर लिया गया, सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में दिया जा सकेगा, यद्यपि अभिसाक्षी को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है.

* * * * *

३०५. (१)—इस धारा में ''निगम'' से कोई निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (१८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी भी है.

(२) जहां कोई निगम किसी जांच या विचारण में अभियुक्त व्यक्ति या अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है वहां वह ऐसी जांच या विचारण के प्रयोजनार्थ एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति निगम की मुद्रा के अधीन करना आवश्यक नहीं होगा.

(३) जहां निगम का कोई प्रतिनिधि हाजिर होता है, वहां इस संहिता की इस अपेक्षा का कि कोई बात अभियुक्त की हाजिरी में की जाएगी या अभियुक्त को पढ़कर सुनाई जाएगी या बताई जाएगी या समझाई जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि वह बात प्रतिनिधि की हाजिरी में की जाएगी, प्रतिनिधि को पढ़कर सुनाई जाएगी या समझाई जाएगी और किसी ऐसी अपेक्षा का, कि अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि प्रतिनिधि की परीक्षा की जाएगी.

(४) जहां निगम का कोई प्रतिनिधि हाजिर नहीं होता है, वहां कोई ऐसी अपेक्षा, जो उपधारा (३) में निर्दिष्ट है, लागू नहीं होगी.

* * * * *

३१७. (१)—इस संहिता के अधीन जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, समाधान हो जाता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी न्याय के हित में आवश्यक नहीं है या अभियुक्त न्यायालय की कार्यवाही में बार-बार विघ्न डालता है तो, ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा किए जाने की दशा में, वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसी जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और कार्यवाही के किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम में ऐसे अभियुक्त के वैयक्तिक हाजिरी का निदेश दे सकता है.

(२) यदि ऐसे किसी मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा नहीं किया जा रहा है अथवा यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का वह विचार है कि अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक है तो, यदि वह ठीक समझे तो, उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, वह या तो ऐसी जांच या विचारण कर सकता है या आदेश दे सकता है कि ऐसे अभियुक्त का मामला अलग से लिया जाए या विचारित किया जाए.

* * * * *

३२०. (१) नीचे दी गई सारणी के प्रथम दो स्तम्भों में विनिर्दिष्ट भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) की धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का शमन उस सारणी के तृतीय स्तम्भ में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है.

* * * * *

३५३. (१) आरंभिक अधिकारिता के दण्ड न्यायालय में होने वाले विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण को खत्म होने के पश्चात् तुरन्त या बाद में किसी समय, जिसकी सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी,—(क) सम्पूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा; या (ख) सम्पूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा; या (ग) अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा.

(२) जहां उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन निर्णय दिया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी उसे आशुलिपि में लिखवाएगा और जैसे ही अनुलिपि तैयार हो जाती है वैसे ही खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा, और उस पर निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा.

(३) जहां निर्णय या उसका प्रवर्तनशील भाग, यथास्थिति, उपधारा (१) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में उस पर तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे और यदि वह उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा गया है तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे.

(४) जहां निर्णय उपधारा (१) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है, वहां सम्पूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उनके प्लीडरों के परिशीलन के लिए तुरन्त निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी.

(५) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए उसे लाया जाएगा.

* * * * *

३९०. जब धारा ३७८ के अधीन अपील उपस्थित की जाती है तब उच्च न्यायालय वारण्ट जारी कर सकता है जिसमें यह निदेश होगा कि अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए और उसके या किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया जाए, और वह न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त लाया जाता है, अपील का निपटारा होने तक उसे कारागार को सुपुर्द कर सकता है या उसकी जमानत ले सकता है.

* * * * *

४५१. जब कोई सम्पत्ति, किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण के दौरान पेश की जाती है तब वह न्यायालय उस जांच या विचारण के समाप्त होने तक ऐसी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश, जैसा वह ठीक समझे, कर सकता है और यदि वह सम्पत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है तो वह न्यायालय ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, उसके विक्रय या उसका अन्यथा व्ययन किए जाने के लिए आदेश कर सकता है.

* * * * *

४५७. (१) जब कभी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी सम्पत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट इस संहिता के उपबन्धों के अधीन मजिस्ट्रेट को की जाती है और जांच या विचारण के दौरान ऐसी सम्पत्ति दण्ड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जाती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के व्ययन के, या उस पर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति का परिदान किए जाने के बारे में या यदि ऐसा व्यक्ति अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा और पेश किए जाने के बारे में ऐसा आदेश कर सकता है जो वह ठीक समझे.

(२) यदि ऐसा हकदार व्यक्ति ज्ञात है, तो मजिस्ट्रेट वह सम्पत्ति उसे उन शर्तों पर (यदि कोई हो), जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, परिदत्त किए जाने का आदेश दे सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है तो मजिस्ट्रेट उस सम्पत्ति को निरूद्ध कर सकता है और ऐसी दशा में एक उद्घोषणा जारी करेगा, जिसमें उस सम्पत्ति की अंगभूत वस्तुओं का विनिर्देश हो, और जिसमें किसी व्यक्ति से, जिसका उसके ऊपर दावा है, यह अपेक्षा की गई हो कि वह उसके समक्ष हाजिर हो और ऐसी उद्घोषणा की तारीख से छह मास के अन्दर अपने दावे को सिद्ध करे.

प्रथम अनुसूची

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
३१७	शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु को पूर्णतया परित्याग करने के आशय से अरक्षित डाल देना.	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों.	संज्ञेय	जमानतीय	सेशन न्यायालय

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
३१८	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना.	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों.	संज्ञेय	जमानतीय	सेशन न्यायालय
३९२	लूट	दस वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	यदि राजमार्ग पर सूर्यास्त या सूर्योदय के बीच की जाती है.	चौदह वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	
३९३	लूट करने का प्रयत्न	सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
३९४	लूट करने में या करने के प्रयत्न में व्यक्ति का या ऐसी लूट में संयुक्त तौर से सम्पृक्त किसी अन्य व्यक्ति का स्वेच्छया उपहति करना.	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिये कठिन कारावास और जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
४३५	सौ रुपए या उससे अधिक का, अथवा कृषि उपज की दशा में दस रुपए या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि.	सात वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना.	संज्ञेय	जमानतीय	सेशन न्यायालय

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (क्रमांक १ का १८७२) से उद्धरण.

* * * * *

६५-ख. (४) किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के परिणामस्वरूप साक्ष्य में कथन देने की वांछा की जाती है, निम्नलिखित चीजों में से किसी को करने वाला, अर्थात्:—

(क) इलेक्ट्रानिक अभिलेख को, जिसमें कथन अन्तर्विष्ट है और उस ढंग का विवरण है, जिसमें इसका उत्पादन किया गया था, परिलक्षित करते हुए;

(ख) किसी युक्ति की, जो उस इलेक्ट्रानिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्ग्रस्त है, ऐसी विशिष्टियों को देते हुए, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि इलेक्ट्रानिक अभिलेख का उत्पादन कम्प्यूटर द्वारा किया गया था;

(ग) मामलों में से किसी पर, जिससे उपधारा (२) में वर्णित शर्तें सम्बन्धित हैं, विचार करते हुए, प्रमाण-पत्र को, जो सुसंगत युक्ति के संचालन या सुसंगत क्रियाकलापों के प्रबन्ध (जो भी समुचित हो) के सम्बन्ध में उत्तरदायी पदीय स्थिति ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है, किसी मामले का, जो प्रमाण-पत्र में अधिकथित है, साक्ष्य माना जाएगा और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह उसे अधिकथित करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में अधिकथित किए जाने वाले मामले के लिए पर्याप्त होगा,

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.